



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092022-238589
CG-DL-E-03092022-238589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3963]
No. 3963]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितंबर, 2022

का. आ. 4144(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 31 के सामने, मद संख्यांक (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (2) स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|----------------|
| (ग) 3.5 टन से अधिक सकल यान भार सहित टिपर के सिवाय सभी एम और एन श्रेणी के यानों के लिए निरंतर गति ईंधन खपत परीक्षण | समय-समय पर यथा संशोधित आईएस: 11921: 2020 स्थिर गति पर हल्के मोटर यान-50 कि.मी. प्रति घंटा मध्यम और भारी मोटर यान 40 कि.मी. प्रति घंटा और 60 कि.मी. प्रति घंटा | 1 अप्रैल, 2023 |
|---|---|----------------|

[फा. सं. आरटी-11035/03/2016-एमवीएल (भाग-1)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव,

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3896(अ), तारीख 12 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2022

S. O. 4144(E).—exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), namely: -

In the said notification, in the Table, against serial number 31, after item number (b) and entries relating thereto, in columns (2), (3) and (4), the following items and entries shall be inserted, namely:-

“

| | | |
|--|---|-----------------|
| (c) Constant speed fuel consumption test for all M and N category vehicles excluding tippers, with gross vehicle weight more than 3.5 tonnes | IS: 11921: 2020 as amended from time to time, at the constant speeds Light motor vehicles - 50 Km/h Medium and Heavy motor vehicles 40 Km/h and 60 Km/h | 1st April, 2023 |
|--|---|-----------------|

”

[F. No. RT-11035/03/2016-MVL(Part-1)]
MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.1365(E), dated the 13th December, 2004, and lastly amended *vide* notification number S.O. 3896(E), dated the 12th August, 2022.